

राजस्थान सरकार

चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्र. प. 16 (12)/एम.ई. ग्रुप-1/2012-पा.

दिनांक: 5/5/2014

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश एवम सुराज संकल्प 2013 (*Election manifesto announcement*) के बिन्दु संख्या 10.41 "प्रदेश के विश्वविद्यालय/तकनीकी विश्वविद्यालय/चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा विश्व के जाने-माने विश्वविद्यालयों से परस्पर शैक्षणिक आदान-प्रदान हेतु प्रभावी कदम उठाए जाएंगे तथा विदेश में स्थित ऐसे विश्वविद्यालयों के स्थानीय कैंपस विकसित करने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।" के अनुसरण में माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा , स्वास्थ्य एवम चिकित्सा शिक्षा द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार शैक्षणिक कार्यक्रमों एवम चिकित्सा सेवाओं में गुणवत्ता एवम् स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हेतु आवश्यक तकनीकी सुझावों हेतु निम्न अधिकारियों की सलाहकारी समिति का गठन किया जाता है:

- | | |
|---|-------------|
| 1. मा.कुलपति महोदय राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय | -अध्यक्ष |
| 2. डा. अशोक पानगडिया-पूर्व कुलपति रा.स्वा.वि.वि. | -सदस्य |
| 3. डा. नरपतसिंह शेखावत- पूर्व अधीक्षक एस.एम.एस अस्पताल | -सदस्य |
| 4. डा. जे.पी.ऋषि- पूर्व अधीक्षक एस.एम.एस अस्पताल | -सदस्य |
| 5. डा.एस.पी.सिंह - संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा | -सदस्य सचिव |
| 6. समस्त प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज | -सदस्य |

उक्त समिति आवश्यकतानुसार अन्य विषय विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रित के रूप में मनोनीत कर सकती है Terms of Reference for reviewing the issue and submitting recommendations are as under:

- Analysis of the strength and weaknesses (SWOT) of the seven Medical Colleges / Hospitals assessing their existing infrastructure, availability of land and technical manpower for specialty they are best suited for;
- Examination of the World class super specialty hospitals/ Medical Institutions and assessment of the specialist infrastructure they possess;
- Determination of the level of World Class Health Facilities proposed in the Government Medical Colleges and Associated Hospitals in Rajasthan on the basis of gap analysis.
- Seeking the willingness and the Terms and conditions of these World class super specialty hospitals, including the legal framework in their countries;
- Working out the financial costing and input-output analysis for feasibility and viability of project spelling out clearly, the role of partners.
- A framework document to be prepared for each of these partnerships clearly spelling the social obligations in relevance with the public interest.
- Drafting Memorandum of Understanding to be prepared for partnership in consultations with these institutions and other stakeholders;

सन्दर्भित Terms of References (TOR) पर 15 दिवस में रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित करेगी:

आज्ञा से,




(धन्नालाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपी सूचनार्थः

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार.
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवम स्वास्थ्य, राजस्थान सरकार.
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार.
5. निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर
6. डा. अशोक पानगडिया-पूर्व कुलपति रा.स्वा.वि.वि.जयपुर
7. डा. नरपतसिंह शेखावत- पूर्व अधीक्षक एस.एम.एस अस्पताल जयपुर
8. डा. जे.पी.ऋषि- पूर्व अधीक्षक एस.एम.एस अस्पताल,जयपुर
9. उप-शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा
10. अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा शिक्षा
11. प्रधानाचार्य एवम नियंत्रक मेडिकल कालेज
जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर
12. रजिस्ट्रार ,राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
13. रक्षित पत्रावली/श्री तिवारी वेब साइट हेतु


विशेषाधिकारी (चि.शि.)